केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

तिथि : 21.07.2021

कक्षा 12वीं परिणाम सारणीकरण -2021 के बारे में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न
(प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न - 1)

विद्यालयों को सहायता प्रदान करने के लिए, सीबीएसई ने एक हेल्पडेस्क स्थापित किया है और इसके लिए ईमेल आईडी भी प्रदान की गई है। यह देखा गया है कि स्कूलों के अधिकांश प्रश्न / मुद्दे एक जैसे हैं और तदनुसार, सामान्य जिज्ञासाओं/ प्रश्नों को इकट्ठा करके प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न तैयार किए गए हैं। ऐसी संभावना है कि इन प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों में आपके प्रश्न का उत्तर न मिल पाए। हम अब भी इस पर कार्य कर रहे हैं और प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक और संकलन यथाशीघ्र प्रदान किया जाएगा। आश्वस्त रहें कि सीबीएसई सहायता करने और परिणाम तैयार करने के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा है।

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	प्रतिलोम/विपरीत अनुशोधन (REVERSE MODERATION) यदि सभी छात्र दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में अपने प्रदर्शन के आधार पर 33% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या स्कूलों को अनिवार्य रूप से अपने अभ्यर्थियों को 33% अंकों से कम की सीमा के भीतर रखना होगा?	• 95,96,97,98,99 और 100 अंकों के मामले में, छात्रों की संख्या का प्रतिशत संदर्भ वर्ष के बिल्कुल समान होना चाहिए। • अन्य अंक बैंड के मामले में, मोटे तौर पर छात्रों की संख्या का प्रतिशत संदर्भ वर्ष के समान होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि संदर्भ वर्ष में आपके विद्यालय में छात्रों की संख्या 100 थी और 90 से 94 में यदि 4 छात्र थे और इस वर्ष आपके विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 है, तो 90 से 94 में 08 छात्र होने चाहिए।
2.	प्रतिलोम/विपरीत अनुशोधन (REVERSE	हां। जैसा कि क्रमांक 1 के पहले उत्तर में दिया गया है।

	MODERATION) विद्यालय के पास 96 से 100 के संदर्भ श्रेणी में कोई अभ्यर्थी नहीं है और यदि मॉडरेशन के बिना भी छात्र बोर्ड की नीति के अनुसार दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के प्रदर्शन के आधार पर 96 से 100% के प्रतिशत में आ रहा है तो क्या स्कूल के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे छात्रों के अंक 96% से कम करें।	
3.	अग्रवर्ती अनुशोधन (FORWARD MODERATION) स्कूल में 96 से 100 की सीमा में अन्य छात्रों के अलावा, संदर्भ वर्ष में 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं। हालाँकि, स्कूल में उस विषय में संदर्भ वर्ष में उम्मीदवारों की संख्या की तुलना में 96 से 100 की संदर्भ सीमा में छात्रों की संख्या कम है। क्या स्कूल 96 से 100 के बीच अपने छात्रों की संख्या किसी भी विषय में संदर्भ वर्ष में समान संख्या तक रख सकता है?	संदर्भ वर्ष से यदि वर्तमान वर्ष में छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो बैंड/श्रेणी में रखे गए छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी और यदि संदर्भ वर्ष के संदर्भ में वर्तमान वर्ष में छात्रों की संख्या में कमी आई है तो छात्रों की संख्या में अनुपात में कमी करनी होगी|
4.	**मुख्य विषय के स्थान पर छठा विषय** स्कूल ने छठे विषय के लिए अंक भर दिए हैं और छात्र को 01 विषय में अनुपस्थित रखा है जिसमें वह उपस्थित नहीं हुआ है। मॉडरेशन शीट केवल चतुर्थ विषय के लिए दिख रही है और	वास्तव में यह प्रश्न परीक्षा उपविधि में दिए गए उत्तीर्णता मानदंडों से संबंधित है। यदि कोई अभ्यर्थी क्रमांक 1 से 5 विषयों (मुख्य विषय के रूप में माने गए) में से किसी 01 विषय में अनुपस्थित रहता है और अभ्यर्थी ने छठे विषय की भी पेशकश की है, तो सीबीएसई द्वारा परिणाम को अंतिम रूप देने के समय अनुपस्थित

	छठा विषय प्रतिस्थापन के रूप में नहीं दिख रहा है। बोर्ड की परीक्षा उप-विधि के अनुसार छठा विषय भाषाओं को छोड़कर किसी भी विषय को प्रतिस्थापित करेगा, यदि छात्र अनुपस्थित है, जैसा कि किसी भी आसन्न विषय में पाया जाता है, इसमें अन्य विषय के स्थान पर, जहां छात्र या तो अनुपस्थित है या 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है, अंतिम परिणाम में छठे विषय के अंक दर्शाए जाएंगे|	विषय के साथ 06 विषय का प्रतिस्थापन किया जाएगा।
5.	**प्रथम बार वालों के लिए औसत** जो स्कूल बोर्ड को परीक्षार्थी पहली बार भेज रहे हैं, उन्हें मीन नेशनल एवरेज (Mean National Average) मिला है। मीन नेशनल एवरेज दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के इन छात्रों के औसत प्रदर्शन से बहुत नीचे है और इस प्रकार छात्र और स्कूल के परिणाम को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।	ऐसे मामलों में अब राष्ट्रीय औसत के स्थान पर स्कूलों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला औसत प्रदान किया गया है। ऐसे स्कूल तीन में से किसी एक को चुन सकते हैं जो उनके लिए अच्छी तरह से अनुकूल हो।
6.	**गलती से अनुपस्थित** यदि किसी छात्र को प्रायोगिक/ परियोजना/ आंतरिक मूल्यांकन या कक्षा XI सिद्धांत अंक या कक्षा XII सिद्धांत के अंकों में किसी भी विषय में गलती से अनुपस्थित चिह्नित किया जाता है, तो छात्र सारणी पत्र में नहीं दिख रहा है। क्या करे?	ऐसी किसी भी समस्या की सूचना संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को दें ताकि सीबीएसई की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

7.	**विषय स्थापन में परिवर्तन** क्या क्षेत्रीय कार्यालय विद्यालय के अनुरोध पर परिणाम घोषणा से पहले प्रवेश मास्टर में 5वें विषय के साथ छठे विषय को परिवर्तित कर सकता है?	नहीं, इस समय कोई परिवर्तन नही किया जा सकता है|
8.	**अंतिम तिथि से पूर्व परिवर्तन** विद्यालय द्वारा जानबूझकर या अनजाने में आंकड़ों को अंतिम रूप दे दिया गया, लेकिन अब विद्यालय आंकड़ों में परिवर्तन करना चाहता है| क्या इसकी अनुमति है?	परिवर्तन केवल आंकड़ों की अंतिम प्रस्तुति से पहले किए जा सकते हैं| इसके उपरांत परिवर्तन की अनुमति नही है क्योंकि यह अनुचित गतिविधियों में शामिल होने का मौका देता है|
9.	**गलत अपलोड** विद्यालय द्वारा अंकों को अंतिम रूप देने के बाद पाया गया कि कक्षा XI/XII के लिए कुछ अभ्यर्थियों/विषयों के अंक गलत अपलोड हो गए हैं| क्या विद्यालय को इन अंकों को अब अद्यतन करने की अनुमति है|	परिवर्तन केवल आंकड़ों की अंतिम प्रस्तुति से पहले किए जा सकते हैं| इसके उपरांत परिवर्तन की अनुमति नही है क्योंकि यह अनुचित गतिविधियों में शामिल होने का मौका देता है|
10.	**गलत अपलोड** विद्यालय द्वारा अंकों को अंतिम रूप देने के बाद पाया गया कि कक्षा XII के लिए कुछ अभ्यर्थियों/विषयों प्रायोगिक/ परियोजना/ आईए के अंक गलत अपलोड हो गए हैं| क्या विद्यालय को इन अंकों को अब अद्यतन	परिवर्तन केवल आंकड़ों की अंतिम प्रस्तुति से पहले किए जा सकते हैं| इसके उपरांत परिवर्तन की अनुमति नही है क्योंकि यह अनुचित गतिविधियों में शामिल होने का मौका देता है|

	करने की अनुमति है|	
11.	**गलत अपलोड** ऐसे मामले जहां विद्यालयों को कक्षा X विद्यार्थियों (अन्य बोर्डों के) की अंकतालिका अपलोड करने के लिए और उनके अंक अपलोड करने के लिए कहा गया था, विद्यालय ने अंक प्रस्तुत करने के उपरांत पाया कि कुछ अभ्यर्थियों के मामले में अंक गलत प्रस्तुत किए गए हैं| क्या विद्यालय को इन अंकों को अब अद्यतन करने की अनुमति है|	ऐसा कोई भी मामला संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को रिपोर्ट किया जाए ताकि सीबीएसई के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके|
12.	**रह गए विद्यार्थियों के लंबित अंक** विद्यालय के कुछ विद्यार्थी रह गए क्योंकि उनके प्रायोगिक अंक, विषय परिवर्तन मामलों, स्थानांतरण मामलों और विभिन्न कारणों से अनुपस्थित के कारण अपलोड नहीं किए जा सके| क्या विद्यालय को इन अंकों को अब अद्यतन करने की अनुमति है|	20.07.2021 तक ऐसे प्राप्त निवेदनों को पहले ही अपलोड किया जा चुका है|
13.	**अभ्यर्थी जोड़ना** विद्यालय के ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम प्रारंभ में अभ्यर्थी सूची में नहीं दिख रहे थे/अब परिणामों में छोड़ दिए जाएंगे| इन अभ्यर्थियों के संबंध में शामिल करने की समुचित अनुमति उपलब्ध है| इन अभ्यर्थियों के नाम कैसे शामिल किए जाएं	ऐसा कोई भी मामला संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को रिपोर्ट किया जाए ताकि सीबीएसई के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके|

	और अंक कैसे अपलोड किए जाएं|	
14.	**संदर्भित वर्ष में विषय की अनुपलब्धता** यदि इस सत्र में, विद्यार्थियों द्वारा लिया गया नया विषय जो संदर्भ वर्ष में उपलब्ध नहीं है, तो क्या करें?	ऐसे मामलों में, संदर्भ वर्ष में विद्यालय द्वारा प्रदत्त सभी विषयों के कुल औसत पर अंकों के अनुशोधन के लिए विचार किया जाएगा|
15.	**छह की बजाय पाँच का औसत** विषयवार अंक अपलोड करने के बाद जब विद्यालय विद्यार्थीवार विवरण की ओर जाता है, तब सीबीएसई पोर्टल पर पाँच विषयों के अंक दिखते हैं, यदि विद्यार्थी के पास छह विषय हैं| कृपया मार्गदर्शन करें कि क्या ये ठीक है? क्या हम अंतिम रूप से परिणाम जमा/अपलोड कर दें क्योंकि हम इसके साथ तैयार है?	हाँ, यह 05 मुख्य विषयों के लिए दिखाएगा क्योंकि केवल पाँच विषयों से ही कुल अंकों की गणना होती है| तथापि छठे विषय का विवरण अक्षत रहेगा|
16.	**वर्तमान में बेहतर प्रदर्शन** मेरे विद्यालय का वर्तमान बैच बेहतर है| तथापि, संदर्भ वर्ष के दिए गए विषय औसत इत्यादि, यदि वर्तमान वर्ष के बैच पर लागू किए जाते हैं,विद्यार्थियों को हानि होगी| हमें क्या करना चाहिए?	विद्यालयों को संदर्भ वर्ष दिए गए हैं जो कि पिछले तीन वर्षों के सर्वश्रेष्ठ परिणाम हैं| विद्यालय को बिना किसी विचलन के सारणीकरण नीति का पालन करते हुए अंकों में अनुशोधन करना होगा|
17.	**विद्यार्थियों कि संख्या में बढ़ोतरी** जैसा कि वर्तमान वर्ष में है, हमारे विद्यालय में	वर्तमान वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने से विद्यालय औसत नहीं बढ़ेगा| विद्यालय को सीबीएसई द्वारा दिए गए उसी औसत

	विद्यार्थियों की संख्या संदर्भ वर्ष से बढ़ गई है तथा तदनुसार हमारा विद्यालय औसत 56.92 से 57.42 बढ़ गया| इसलिए विषय औसत को बनाए रखने के लिए 0.5 बिन्दु/अंकों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता होगी| कृपया विद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर सुझाव दें|	(Mean) का प्रयोग करना होगा|

(संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक